न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2501–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत हस्तिनापुर तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 6/13–14/अ–12.

1– श्रीमती बसंती बाई पत्नी स्व. शोभाराम
2– श्रीमती ऊषा बाई पत्नी जीवाराम
3– श्रीमती सुशीला देवी पत्नी महेश कुमार
निवासीगण ग्राम बेहट
परगना व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

रामकरण सिंह पुत्र गंगाराम
निवासी ग्राम फदलपुर
तहसील ग्वालियर वृत बेहट
जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.एल. धाकड़, अभिभाषक,अनावेदक

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 15/9/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत हस्तिनापुर तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा डबका स्थित अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 1147/2, 1153/2 क, 3 क के सीमांकन हेतु

जनमित्र केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, वृत हस्तिनापुर तहसील ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 6/13–14/अ–12 पंजीबद्ध कर सीमांकन किया जाकर दिनांक 6–7–14 को सीमांकन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय को प्रेषित किया गया है । तदोपरान्त राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 1147/2 में आवेदक का रकबा शामिल होना बताया गया है, किन्तु यह नहीं बताया गया है कि सर्वे कमांक 1147/1 जो कि आवेदकगण के स्वामित्व की है, का रकबा कहां गया । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा सर्वे कमांक 1147/1 पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से भूमि कय किया गया है और सीमांकन में सर्वे कमांक 1147/1 अगर किसी तरह प्रभावित हो रहा था, तब आवेदकगण को सूचना देना थी, किन्तु नहीं दी गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि हमारे पूरे सर्वे नम्बरों को अनावेदक का बता दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पहले नक्शे का सुधार होना चाहिए था, इसके बाद सीमांकन करना चाहिए था । तर्क में यह भी कहा गया कि सर्वे कमांक 1147/2 पृथक है तो केवल उसी का सीमांकन किया जाना चाहिए था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह सीमांकन निरस्त होने के उपरांत ही सीमांकन कराया जा सकेगा । अंत में तर्क प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर देकर पुनः सीमांकन हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन सही है और यदि आवेदकगण सीमांकन से प्रभावित हैं तो वे अपनी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन करा सकते हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विधिवत अनावेदक की भूमि का सीमांकन किया गया है और उक्त सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा नहीं पाया गया है, इसलिए आवेदकगण के हित प्रभावति नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सीमांकन के समय जो नक्शा तैयार किया गया है, उसमें आवेदकगण की भूमि पृथक दर्शायी गई है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदकगण

सीमांकन में प्रभावित पक्षकार नहीं है और उनके द्वारा निगरानी प्रस्तुत किए जाने का औचित्य समझ से परे है । दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत हस्तिनापुर तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर